उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) नियमावली
(सोलहवां संशोधन तक)

नियम–1(1)

कोई व्यक्ति जो आसवनी स्थापित करने के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने का इच्छुक हो, वह उस जिले के जहाँ वह अपनी आसवनी स्थापित करना चाहे, कलेक्टर को प्रपत्र पी०डी० 32 में एक आवेदन–पत्र देगा और कलेक्टर उसके आवेदन पत्र को आबकारी आयुक्त के आदेशार्थ उसके पास अग्रसारित करेगा तथा आवेदन पत्र अभिहित पोर्टल पर भी अपलोड करेगा। आवेदक आवेदन–पत्र के साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन की अभिस्यीकृति भी प्रस्तुत करेगा।

(2) उसका आवेदन–पत्र ग्रहण कर लिये जाने पर आवेदक, अनुमोदनार्थ उस भवन का विवरण एवं उसका भूटैग, जिसमें अक्षांश व देशान्तर प्रदर्शित हो तथा नक्शा (प्लान) जिसमें वह अपनी आसवनी बनाना चाहता हो, और एक तालिका भी प्रस्तुत करेगा जिसमें भपकों तथा अन्य सभी स्थाई साधित्र का विवरण और आकार दिये होंगे। ये नक्शे ट्रेसिंग कपड़े पर माप के अनुसार होंगे जिसमें प्रयुक्त किये जाने वाले प्रत्येक बर्तन (बेसेल) की ठीक–ठीक स्थिति और विभा तथा रंग द्वारा समस्त पाइपों और चैनलों का ट्रेसिंग कोर्स जिनका सम्बन्धित विषय पर नियमानुसार वास्तव में प्रयोग किया जायेगा तथा आसवनी के और महत्वपूर्ण भागों जैसे कि ग्राही कक्ष (रिसीवर रूम) तथा भांडागार की ऊंचाई दी जायेगी।

(3) यदि आबकारी आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाय तो वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिसे राज्य सरकार अधिरोपित करना उचित समझे, आवेदक द्वारा रूपये 5,00,000 (पाँच लाख) की फीस का भुगतान करने पर आसवनी की स्थापना के लिये प्राधिकृत कर सकता है और प्रपत्र पी०डी०–33 में लाइसेंन्स देगा।

टिप्पणी–राज्य की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये आबकारी आयुक्त को यह शक्ति होगी कि वह लाइसेंस के लिये दिये गये किसी आवेदन–पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करे।

(4) उपयुक्त लाइसस जारी किये जाने के दिनाक से दो वर्ष के लिये विधिमान्य होगा और ऐसी अवधि में लाइसेन्सधारी आसवनी की स्थापना हेतु भूमि, भवन, संयत्र मशीनरी तथा अन्य उपस्कर प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। इससे स्प्रिट के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये जाने के निमित्त कोई अधिकार अथवा विशेषाधिकार प्राप्त न होगा और इसे, किसी भी समय, लोकहित में, लाइसेंसधारी को लाइसेंस विखंडित करने या उसे वापस लेने की कार्यवाही किये जाने के विरूद्ध कारण बताने का नोटिस देने और उसकी सुनवाई, यदि वह चाहे. करने के पश्चात विखंडित किया अथवा वापस लिया जा सकेगा। जब लाइसेंस इस प्रकार विखंडित किया जाय या वापस लिया जाय तो क्षति या हानि के लिये कोई प्रतिकर देय न होगा।

(5) यदि लाइसेंसधारक, उप नियम (4) के अधीन दिये गये समय के भीतर विनिर्देशों और गुणवत्ता मानकों के अनुसार आसवनी चलाने में विफल रहता है. तो लाइसेंसधारक, रू. 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार मात्र) अतिरिक्त फीस का भुगतान करके एक वर्ष के लिये लाइसेंस बढ़ाये जाने के लिये आवेदन कर सकता है।

(6) किसी अन्य नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये, भी लाइसेंसधारी, जिसे पेय मदिरा के प्रयोजनार्थ प्रपत्र पी०डी०–33 में लाइसेंस प्रदान किया गया हो, बोतल भराई नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट निबन्धन और शर्तों के अधीन पेय मदिरा के विनिर्माण के लिये अन्य आसवनियों से एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल कय कर सकता है, धारित कर सकता है और उसका उपभोग कर सकता है।

(क) फीट्स (Feints) का तात्पर्य अनुच्य (Low) शराब (Wines) के आसयन से उत्पादित अशुद्ध रिक्ट से

(ख) अनुच्य (Low) सराय (Wines) का तात्पर्य वाश (लहन) के आसवन से उत्पादित अशुद्ध स्प्रिंट से है.

(ग) आजाक्पोरेशन (Obscuration) का तात्पर्य स्प्रिट की वास्तविक सान्द्रता और हाइड्रोमीटर द्वारा प्रकट दृष्य सान्द्रता में अंतर जो घोल में पदार्थों के कारण होता है, से है,

(घ) प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य आसवनी के प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त से है.

(ड) रिसीवर (प्राप्तक) का तात्पर्य ऐसे पात्र जिसमें भभका (स्टिल) की वर्तुलाकार नली गिरती है,

(च) रिसीवर रूम का तात्पर्य आसवनी के ऐसे भाग से है जहाँ प्रापक (रिसीवर) रखे जाते हैं.
(छ) "स्पेन्ट जीश" (Spentlees) का तात्पर्य अशुद्ध स्प्रिट के पुनः आसवन के बाद बचे अवशेष से है,
(ज) स्पेन्ट वाश (Spent wash) का तात्पर्य वाश से स्प्रिट के निष्कासन के बाद बचे अवशेष. से है,
(झ) वाट से अभिप्रेत ऐसे स्थिर पात्र से है जो स्प्रिट के संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है,
(ञ) गोदाम (भण्डागार) का तात्पर्य आसवनी के ऐसे भाग से जहां उपभोग योग्य स्थिति में स्प्रिट को संग्रह किया जाता है.
(ट) वाश का तात्पर्य सेकेरीन घोल से है, जिसके आसवन द्वारा स्प्रिट प्राप्त की जाती है और इसमें किण्वित वाश या वार्ट भी सम्मिलित है.
(ठ) वाश बैक (Wash Back) का तात्पर्य ऐसे पात्र से है जिसमें किण्वन कराया जाता है.
(ड) पोर्टल का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से लेकर इसके वितरण के अन्तिम अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड करने के प्रयोजन से है।

नियम–2.(1)

सिवाय आबकारी आयुक्त द्वारा प्रपत्र पी०डी०–1 या प्रपत्र पी०डी०–2 में दिये गये लाइसेंस के प्राधिकार और उसके निवधनी तथा शर्तों के अधीन रहते हुये, न तो किसी स्प्रिट का निर्माण किया जायगा और कोई व्यक्ति स्प्रिट का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ ऐसे किसी सामान, भपका, औजार तथा उपकरण आदि का.जो भी हो,न तो प्रयोग करेगा,न उसको अपने पास और न अपने कब्जे में रखेगा। सरकार के स्वामित्याबीन भू–गृहादि में आसवनी को चलाने के लिये लाइसेंस प्रपत्र पी०डी०–1 में दिया जायेगा जबकि सरकार से गिन्न किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन भू–गृहादि में आसवनी चलाने के लिये लाइसेंस प्रपत्र पी०डी०–2 में दिया जायेगा।
(2) उपर्युक्त लाइसेंस दिये जाने के लिये आवेदन–पत्र प्रपत्र पी०डी०–34 में होगा और जो आबकारी आयुक्त को प्रपत्र पी०डी०–33 में लाइसेंस दिये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा जब तक कि विनिर्दिष्टतः अन्यथा अनुमति न दी गई हो।
(3) प्रपत्र पी०डी० चा पी०डी०–2 में, जैसी भी दहा हो. लाइसेस दिये जाने के पूर्व आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई आबकारी अधिकारी भू–गृहादि आदि का निरीक्षण करेगा और नवशे से उसका मिलान करेगा तथा तद्नुसार प्रमाण–पत्र देगा।
(4) प्रपत्र पी०डी०–1 या पी०डी०–2 में कोई लाइसेंस तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि आवेदक ने–
(क) आबकारी आयुक्त का यह समाधान न कर दिया हो. कि स्प्रिट बनाने, उसका भण्डारण तथा निर्गमन करने के सम्बन्ध में प्रयुक्त किया जाने वाला प्रस्तावित भवन, बर्तन संयंत्र तथा उपकरण तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार है और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये नक्शे के अनुरूप है और अग्रेतर यह कि आग से बचाने के लिये सम्यक् पूर्वोपाय किये गये हैं।
(ख) नियम–4 की अपेक्षानुसार प्रतिभूति जमा कर दी है, और
(ग) अगामी दो वर्ष या उसके भाग के लिये जिसके निमित्त लाइसेंस दिया जाय, उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता के 2500 रूपये (पच्चीस रूपये) मात्र प्रति मात्र प्रति किली लीटर वार्षिक की दर से दो वर्ष के लिये लाइसेंस फीस अग्रिम रूप में जगा कर दी है।
नियम–2(5)

उपरोक्त लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दिया जायेगा।
(क) आबकारी आयुक्त किसी भी समय उपनियम (4) में उल्लिखित विवरण तथा नक्शे का सत्यापन कर सकता है और गलत साबित होने पर नया विवरण तथो नक्शा (प्लान) प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करेगा। ऐसा सत्यापन इस प्रयोजन के लिये प्रतिनियुक्त किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है और ऐसे अधिकारी को भू–गृहादि में प्रवेश करने की पूर्ण अनुगति होगी। आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित आरावनी नक्शे की द्वितीय प्रति आसवनी द्वारा दी जायगी जिरो सम्बद्ध आरावनी निरीक्षक के कार्यालय में फाइल की जायेगी तथा आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड किया जागेगा।

(ख) ऐसे भवनों में था ऐसे भबकों तथा अन्य स्थायी उपकरणों में कोई परिवर्तन 'या परिवर्धन आबकारी आयुक्त के अनुज्ञा के बिना नहीं किया, जायेगा। यदि कोई परिवर्तन करने की स्वीकृति दी जाये तो उस विवरण तथा नक्शे को नये सिरे से प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि आबकारी आयुक्त ऐसा निर्देश दे तो आसवनी के प्रभारी अधिकारी, ऐसे भवनों या भबकों तथा अन्य स्थायी उपकरणों में छुद्र परिवर्तन करने की उसके अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन रहते हुये अनुज्ञा दे सकता है।

परन्तु यह कि सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त द्वारा निम्नलिखित गौण परिवर्तन या अतिरिक्त कार्य किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है–

1–शीरा टैंकों के मरम्मत का कार्य।

2–पाइप लाइनों के मरम्मत का कार्य।

3–आसवनियों में स्थापित शीरा भण्डारण टैंकों एवं एथनाल भण्डारण टैंकों एवं चीनी मिल में स्थापित शीरा नण्डारण टैंकों को बी–हैवी एवं सी हैवी शीरा एवं एथनाल के उपयोग हेतु वर्गीकृत किये जाने का कार्य।

4–आसवनी भवन का मरम्मत कार्य।

5–नैत्यिक प्रकृति के अन्य कार्य।

परन्तु यह और कि ऐसे कार्यों से उत्पादन क्षमता प्रभावित नहीं होगी और उक्त कार्य आबकारी आयुक्त की संसूचना के अधीन अनुमोदित आरेखण के अनुसार हों।

(ग) पेय मदिरा निर्माण के लिए नयी क्षमता स्वीकृति निम्न, तिबन्धनों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी–

(i) आसवनी स्थापना में कम से कम पचारा करोड़ रूपये का पूंजी निवेश किया जाये और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई०ई० एम०) हेतु आवेदन कर दिया हो।

(ii) आवेदक पर कोई सरकारी राजस्व बकाया न हो।

(घ) औद्योगिक/कैप्टिव आसवनियों को उनकी अधिष्ठापित क्षमता का नब्बे प्रतिशत तक पेय मदिरा निर्माण का उपयोग करने की अनुमति समस्त आबकारी राजस्व के बकाया न होने पर स्वीकृत की जायेगी। ऐसी आरामनियां, जो औद्योगिक तथा पेय मदिरा दोनों का निर्माण करती हो (मिश्रित आरावनिया) को उनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता का नब्बे प्रतिशत तक पेय मदिरा निर्माण किये जाने की अनुमति निग्न निबंधनों एवं शतों के अधीन प्रदान की जायेगी–

(i) आसवनी द्वारा गत वित्तीय वर्ष में अधिष्ठापित पेय क्षमता का साठ प्रतिशत अथवा चालू वर्ष के पूर्ववर्ती माहों की समानुपातिक अधिष्ठापित पैथ क्षमता का साठ प्रदिशत तक उपभोग कर लिया गया हो।

(ii) आसगनी द्वारा समस्त सरकारी देगों का भुगतान कर दिया गया हो।

(ड.) ऐसी आसवनियां, जो औद्योगिक तथा पेय मदिरा दोनों का विनिर्माण करती हों (मिश्रित आसवनियां) को उनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता का नब्बे प्रतिशत तक पेय मदिरा विनिर्मित किये जाने की अनुमति निम्न निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जा सकती है;

(एक) आसवनी ने गत वित्तीय वर्ष में अपनी अधिष्ठापित पेय क्षमता का कम से कम साठ प्रतिशत अथवा चालू वित्तीय वर्ष के पूववर्ती माहों में आनुपातिक रूप से अधिष्ठापित पेय क्षमता का साठ प्रतिशत तक उपभोग कर लिया हो।

(ii) आसवनी ने समस्त सरकारी देयों का भुगतान कर दिया गया हो।

परन्तु यह कि ऐसी आसवनियों, जिनमें तीन पूर्ववर्ती क्रमागत वर्षों के दौरान अशुद्ध स्प्रिट (इम्प्योर स्प्रिट) की मात्रा 5.0 प्रतिशत से कम रही हो, के सम्बन्ध में सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा परीक्षण किये जाने के पश्चात् और शासन के पूर्व अनुमोदन से पेय क्षमता में प्रतिष्ठापित क्षमता के 95.0 प्रतिशत तक की वृद्धि अनुज्ञात की जायेगी।

(घ) उन आसवनियों को, जिन्हें आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता के विस्तार की अनुमति प्रदान की जा चुकी है, विस्तारित क्षमता का नब्बे प्रतिशत तर्क पेय मदिरा निर्माण ई०एन०ए० क्रय कर किये जाने की अनुमति हेतु दो वर्ष की देव लाइसेंस फीस जमा करने पर इस शर्त पर दी जा सकेगी कि दो वर्षों में प्लांट/मशीनरी की

स्थापना करके विस्तारित अधिषापित क्षमता के अनुसार अल्कोहल/ई०एन०ए० का उत्पादन प्रारम्भ कर लिया जायेगा, जसमें विफल रहने पर उनकी विस्तार की जाने वाली पेय क्षमता स्वतः स्थगित समझी जायेगी।
(छ) उपनियम (ग) तथा (च) में नयी पेय गदिरा श्रपता को स्थापित करने अथवा वर्तमान पेव क्षमता में पृद्धि करने हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से यथावश्यक पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से घायु (प्रदुमण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम,1981 और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और सहायक नियमों के अधीन आन लाइन अनापत्ति प्रापा किया जायेगा।
(ज) आसवनी द्वारा अच्छी उत्पादन प्रक्रिया को अपना कर जन्नत तकनीक से उत्पादकता, उर्जा दक्षता तथा पर्यावरणीय मापदण्डों का पालन किया जावेगा। उनके द्वारा उत्पादन शुरू करने से पूर्व उत्पाद की देसबिल्टी हेतु देश और ट्रैस सिस्टम स्थापित किया जायेगा।
(झ) आसवनी अपनी पेय क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष उपयोग करेगी।
(ञ) नई पेय आसवनी स्थापित करने और पेय मदिरा उत्पादन/उसकी क्षमता में वृद्धि हेतु औद्योगिक आसवनियों/कैप्टिव आसवनियों को अनुज्ञा प्रदान करने के लिये आयुक्त, अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति, आबकारी आयुक्त से, उसकी सहमति तथा संस्तुति सहित, प्राप्त आवेदनों के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात् संस्तुति प्रदान करेगी जिस पर अन्तिम विनिश्चय माननीय आबकारी मंत्री द्वारा किया जायेगा। समिति का गठन निम्नानुसार होगा–
(1) आयुक्त, अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास–अध्यक्ष
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग–सदस्य
(3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग–सदस्य/संयोजक
(4) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश–सदस्य

नियम–2(6)

आगामी आवकारी वर्ष हेतु लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन–पत्र सम्बन्धित वर्ष 28 फरवरी को या इसके पूर्व कलेक्टर के माध्यम से आबकारी आयुक्त को दिया जायेगा। यदि संयंत्र या भवन में कोई परिवर्तन किया गया है तो नथा नक्शा प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. तो प्रभारी अधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र लाइसेंस के नवीनीकरण के लिये आवेदन–पत्र के साथ अग्रसारित किया जाना चाहिये। उपनियम (4) (ग) में विहित लाइसेंस फीस थो वर्ष या उसके भाग के लिये ऐसे नवीनीकरण के लिए अग्रिम रूप से देय होगी। यदि लाइसेन्ना के नवीकरण के लिये आवेदन–पत्र उचित रूप से समय पर प्रस्तुत न किया जाय और नवीकरण में विलम्ब हो जाय तो आसवनी में उत्पादित स्प्रिट अभिगृहीत और शमपक्षत कर ली जायगी, या आसवनी घलाने वाले पक्षकारों को स्पिंरट के अवैध निर्माण के लिये विधि द्वारा व्यवस्थित शास्तियां दी जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आसवनी के लिये जिसे पहले लाइसेंस प्राप्त था. लाइंसेस अस्वीकार किये जाने की दशा में अपील के विचाराधीन रहने तक समुचित समय के लिये अस्थायी रूप से आसवनी चलाने की अनुज्ञा जी जा सकती है।

नियम–3 (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

अपने लाइसेंस की समाप्ति पर (जब तक कि उसे नया लाइसेंस न दिया गया हो), या यदि उसका लाइसेंस रद्द या निलंबित कर दिया जाता है, तो प्रत्येक आसवक तत्काल शुल्क का भुगतान करने और आसवनी में शेष सभी स्पिरिट को लागू नियमों के अनुसार हटाने के लिए बाध्य होगा; और यदि वह कलेक्टर से लिखित सूचना प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो आसवनी या गोदाम में नियोजित किसी भी प्रतिष्ठान की लागत, चूककर्ता से वसूल की जा सकेगी। निरंतर उपेक्षा की स्थिति में, आबकारी आयुक्त के विवेक पर स्प्रिट जब्त की जा सकेगी ।

नियम–4

नियम 4 का संशोधन–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम दिया जायेगा, अर्थात,

क्र.सं.	आसवनी की वार्षिक सकल अधिष्ठापित क्षमता (लाख ब0ली0 में)	संदेय प्रतिभूति धनराशि (रूपये में)
1	500 तक	25 लाख
2	500 से अधिक 1000 तक	45 लाख
3	1000 से अधिक	65 लाख

प्रतिभूति धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सावधि जमा रसीद के रूप में जमा किया जायेगा जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अभिहित नाम से प्रतिश्रुत होगा, तथा शेष 25 प्रतिशत भाग राजकीय राजकोष में सम्बन्धित लेखा शीर्षक के अधीन नकद जमा किया जायेगा

नियम–5 (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

स्टिल आदि की व्यवस्थाकृ आसवकों को अपने स्टिल को इस प्रकार व्यवस्थित करना होगा कि कृमि आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित पैटर्न के बंद और ताले लगे रिसीवरों में निकल जाएँ। स्पिरिट या फ़िंट ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रत्येक पाइप इस प्रकार स्थिर और स्थापित होना चाहिए कि उसके पूरे मार्ग में उसकी जाँच की जा सके। वे आबकारी आयुक्त की संतुष्टि के अनुसार सभी स्टिल, स्पिरिट रिसीवर, किण्वन कक्ष या शेड, दरवाज़े आदि पर उपयुक्त और सुरक्षित बन्धन भी लगाएँगे और उनका रखरखाव करेंगे, ताकि सरकार द्वारा लगाए जाने वाले ताले लगाए जा सकें। लेकिन जब किसी आसवनी की किसी भी फिटिंग पर ताले लगाए जाते हैं, तो आसवकों की सुविधा के लिए और उन्हें परिवर्तन करने के खर्च से बचाने के लिए, ऐसे तालों का खर्च उन्हें ही वहन करना होगा। ऐसे सभी तालों की चाबियाँ आसवनी के प्रभारी सरकारी अधिकारियों के पास रहेंगी, लेकिन आसवकों को उन सभी स्टिल, रिसीवर आदि पर, जिन पर सरकारी ताले लगे हैं, अपने ताले लगाने की भी स्वतंत्रता होगी। परन्तु यह कि वे सदैव कलेक्टर या आसवनी के भारसाधक अधिकारियों या आबकारी विभाग के अन्य राजपत्रित अधिकारियों के अनुरोध पर अपने ताले तुरन्त हटा देंगे, ताकि उन भट्ठियों और रिसीवरों का, जिन पर ऐसे ताले लगे हैं, और उन कमरों का, जिनके दरवाजों पर ऐसे ताले लगे हैं, और उन भट्ठियों, रिसीवरों और कमरों की समस्त सामग्री का, स्वतंत्र निरीक्षण किया जा सके।

नियम –6 (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

आसवकों को स्टिल और स्पिरिट रिसीवर के बीच एक काँच का "सेफ" लगाना होगा जिससे चल रहे स्पिरिट की गुणवत्ता और तीव्रता किसी भी समय संचालक को दिखाई दे, या एक नमूना लेने वाला उपकरण इस प्रकार बनाया जाएगा कि निकाले गए प्रत्येक नमूने के लिए बिल्कुल बराबर मात्रा एक बंद और बंद पात्र में डाली जाए। यदि वांछित हो, तो "सेफ" और नमूना लेने वाले उपकरण दोनों का उपयोग किया जा सकता है। आसवकों को, यदि आवश्यक हो, तो कॉक लगे शाखा पाइप भी लगाने होंगे जिनके माध्यम से विभिन्न तीव्रता और गुणवत्ता वाले स्पिरिट को अलग–अलग रिसीवरों में भेजा जा सके।

नियम–7 (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

आसवकों को अपने स्पिरिट रिसीवर और भंडारण वैट को इस प्रकार व्यवस्थित करना होगा कि स्पिरिट को गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंद पाइपों के माध्यम से पहले वाले से दूसरे वाले में पहुँचाया जा सके, या, जहाँ यह व्यावहारिक न हो, वहाँ ऐसे उपकरण लगाने होंगे जिनसे स्पिरिट को बंद पाइपों के माध्यम से पहले वाले से दूसरे वाले में पंप किया जा सके।

नियम –8 (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

आसवनी में सभी रिसीवर और वैट इस प्रकार रखे जाएँगे कि उनमें मौजूद सामग्री का सही–सही मापन या नाप हो सके और उन्हें आबकारी आयुक्त की संतुष्टि के अनुसार उचित डिपिंग रॉडों से सुसज्जित किया जाना चाहिए ताकि निश्चित डिपिंग स्थानों पर समायोजित किया जा सके ताकि सामग्री का किसी भी समय पता लगाया जा सके। रिसीवर और वैट का मापन भी उसी प्रकार किया जाएगा जैसा आबकारी आयुक्त

समय–समय पर निर्देश दें; और किसी भी पात्र का उपयोग रिसीवर या भण्डार वैट के रूप में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका मापन न कर लिया जाए और आबकारी आयुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा मापन की जाँच न कर ली जाए।

नियम–9 (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

आबकारी आयुक्त द्वारा आसवनी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग के ऐसे प्रभारी अधिकारियों को, जिन्हें वह उचित समझे, आसवनी के प्रभार में नियुक्त करेगा। ऐसे अधिकारियों का वेतन सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, बशर्ते कि जब वार्षिक स्थापना शुल्क वर्ष के दौरान आसवनी से उत्पादित उत्पादों पर लगाए जाने वाले शुल्क के 10 प्रतिशत से अधिक हो, तो यह अतिरिक्त राशि आसवनीकर्ता से वसूल की जाएगी।

नियम–10

आसवक आसवनी के प्रभारी अधिकारी या उनको कर्मचारियों के प्रयोग हेतु कार्यालय फर्नीचर उपलब्ध करायेगा। यदि आसवनी ऐसे स्थान पर है जहां ऐसे अधिकारियों के लिये उपयुक्त आगत युक्ति–युक्त दरों पर उपलब्ध नहीं हो तो आसवक आबकारी आयुक्त के सन्तोषानुत्तार उपयुक्त आवास उपलब्ध करायेगा।

(क) आसवनी के किसी आबकारी निरीक्षक के लिये किराये पर, जो उसके वेतन के दस प्रतिशत से अनधिक या 10000 रुपये प्रतिमास, जो भी कम हो।

(ख) आसवनी को क्लर्क के लिए किराये पर जो उसके वेतन के दस प्रतिशत से अनधिक या 5000 रुपये प्रतिमास, जो भी कम हों,

(ग) आसवनी के चपरासी (कांस्टेबिल) के लिए किराये पर, जो उसके वेतन के दस प्रतिशत, से अनधिक या 2000 रुपये प्रतिमास, जो भी कम हो।

(घ) किसी सहायक आबकारी आयुक्त के लिये किराये पर, जो उसके वेतन के दस प्रतिशत से अनधिक या 16000 रुपये प्रतिमास, जो भी कम हो।

आसवक आवासों और उनके संलग्नको की सही स्थिति में रखने और उसकी उचित मरम्मत कराने के लिये बाध्य होगा, और उनमे रहने वाले अधिकारियों उनके प्रयोग और उपभोग में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा या उन्हें रुष्ट नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि ऐसे आवासों के स्वामी द्वारा मांगा गया किराया आवास सुविधा की प्रकृति और विस्तार को देखते हुये उचित या युक्तियुक्त है या नहीं, तो वह प्रश्न आबकारी आयुक्त को सन्दर्भित किया जायेगा जिनका निर्णय अन्तिम होगा उस आसवनी पर बाध्यकारी होगा।

नियम–11

आबकारी अधिकारियों की उपस्थिति का. समय आसवनी में तैनात निरीक्षकों, क्लकों एवं सिपाहियों की उपस्थिति की शिफ्ट सम्बन्धित आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किया जायेगा। सामान्यतः प्रत्येक पदाधिकारी एक दिन में अर्थात चौबीस घन्टे में कुल अनधिक आठ घन्टे ड्यूटी पर रहेगा। शिफ्ट की अवधि प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक, अपरान्ह 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक तथा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रहेगी। आसवनी के कार्य संचालन की यथावश्यकतानुसार अतिरिक्त आबकारी कर्मचारियों की व्यवस्था की जायेगी।

नियम–12

अवकाश–निरीक्षको तथा क्लर्कों की आसवनी में निम्नलिखित अवकाश की अनुमति है–

रविवार, गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), गुड फ्राइडे महात्मा गाँधी का जन्म दिवस (सरकारी), स्वतंत्रता दिवस, क्रिसमस दिवस, होली (होलिका दहन का अगला दिन), जन्माष्टमी, दशहरा (मुख्म, दिवस), दिवाली (मुख्य दिवस) इदुल फितर (मुख्य दिवस) ईदजुहा, मोहरंग (दसवां दिन) और शब–इ–बारात।

अन्य राजपत्रित अवकाश की अनुमति तभी होगी, यदि आसचक विशेष आधार पर आबकारी आयुक्त की स्वीकृति से स्वयं बन्द करते हैं।

नियम –13 (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

आसवकों को आसवन शुरू करने की सूचना देनी होगी – आसवकों को आबकारी आयुक्त को उस तिथि की लिखित सूचना पंद्रह दिन पहले देनी होगी जिस दिन से वे आसवन शुरू करने का प्रस्ताव रखते हैं।

नियम –14 (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

प्रतिष्ठान वापस लेने की शक्ति। – यदि कोई आसवक एक महीने से अधिक अवधि के लिए आसवन या स्पिरिट जारी करना बंद कर देता है, तो आबकारी आयुक्त आसवनी में स्थित प्रतिष्ठान को वापस ले सकता है और आगे सभी प्रकार के आसवन और स्पिरिट जारी करने पर तब तक रोक लगा सकता है जब तक कि आसवक आबकारी आयुक्त को उस तिथि की लिखित सूचना पंद्रह दिन पहले न दे दे जिस दिन से वह आसवन या स्पिरिट जारी करना पुनः शुरू करने का प्रस्ताव रखता है, जैसा भी मामला हो।

नियम 15.–क (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

आसवनी में स्पिरिट की हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी – सरकार आसवनी में आग या चोरी, या गेजिंग या प्रूफिंग, या किसी भी अन्य कारण से संग्रहीत किसी भी स्पिरिट के विनाश, हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। आग लगने या अन्य दुर्घटना की स्थिति में भट्टियों के प्रभारी अधिकारी तुरंत उपस्थित होंगे तथा दिन या रात में किसी भी समय परिसर को खोलेंगे।

नियम–15– ख

आसवक ऐसी न्यूनतम किण्वन और आसवन दक्षता बनाये रखने और अल्कोहल के उत्पादन के लिये उपयुक्त शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतय स्वीकृत पदार्थ से ऐसे न्यूनतम अल्कोहल की प्राप्ति के लिये उत्तरदायी होंगे, जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किया जाय।

टिप्पणी–आबकारी आयुक्त द्वारा विहित न्यूनतम किण्वन और आसवन दक्षता और शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतय स्वीकृत पदार्थ से अल्कोहल की प्राप्ति निम्नलिखित प्रकार से है–

(एक) किण्वन दक्षता..... शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतया स्वीकृत पदार्थ में विद्यमान 84 प्रतिशत किण्वीय शक्कर।

(दो) आसवन दक्षता......वाश में विद्यमान सत्तानबे (97) प्रतिशत अल्कोहल ।

(तीन) न्यूनतम अल्कोहल की प्राप्ति........अल्कोहल के उत्पादन के लिये उपयुक्त शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जी, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतया स्वीकृत पदार्थ में विद्यमान प्रति क्विन्टल किण्वीय शक्कर से बावन दशमलव पाँच (52.5) लीटर अल्कोहल ।

(2) विहित न्यूनतम दक्षता बनाये रखने और अल्कोहल प्राप्त करने में विफल होने पर संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन आसवक

(एक) शास्ति अधिरोपित किये जाने या प्रतिभूति जमा समपहृत हो जाने अथवा दोनों के लिये

अथवा

(दो) लाइसेन्स रद्द किये जाने और प्रतिभूति जमा समपहृत हो जाने के लिये दायी होंगे।

आसवनी का प्रभारी अधिकारी, तीन क्रमिक उत्पादन में उपयुक्त शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतया स्वीकृत पदार्थ का सामूहिक नमूना लेगा और उपयुक्त विधि से इस बात की पुष्टि करते हुये कि परिवहन के दौरान नमूने की किण्वीय शर्करा में कोई ह्रास नहीं होगा, उसे तीन बराबर भाग में विभाजित करेगा और प्रभारी अधिकारी अपनी मुहर बन्द करेगा। सम्यक् रूप से मुहर बन्द किये गये नमूने का दो भाग आसवकों को दिया जायगा जो उसमें से एक भाग की किण्वीय शर्करा का प्रतिशत अवधारित करने के लिये, यथा स्थिति, रासायनिक परीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार या आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अभिकरण को भेजेंगे और दूसरा भाग अपने पास रख लेंगे। सम्यक् रूप से मुहर बन्द नमूना का तीसरा भाग प्रभारी अधिकारी द्वारा रख लिया जायेगा। रासायनिक परीक्षक या आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या अभिकरण द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आसवनी का प्रभारी अधिकारी अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा का अनुमान लगायेगा जो आबकारी आयुक्त द्वारा विहित न्यूनतम

प्राप्ति के आधार पर आसवकों द्वारा उत्पादित किया जाना चाहिये। यदि अल्कोहल की प्राप्ति विहित न्यूनतम मात्रा से कम हो, तो प्रभारी अधिकारी आसवक से स्प्टीकरण मागेगा और उसे अपनी टिप्पणियों सहित सम्बन्धित उप प्रभारी आबकारी आयुक्त को भेजेगा। उप प्रभारी आबकारी आयुक्त यदि आवश्यक हो, मामले की जाँच करेगा और आबकारी आयुक्त को अपनी रिपोर्ट आवश्यक आदेश के लिये प्रस्तुत करेगा।

नियम–16 (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

वाश तैयार करना, वाश को हटाया नहीं जाना चाहिए–आसवनी के भीतर के अलावा किसी भी स्थान पर कोई वाश तैयार नहीं किया जाएगा और न ही किसी भी स्थिति में आसवनी से कोई वाश हटाया जाएगा; और यदि आबकारी आयुक्त ऐसा निर्देश दें, तो सभी वाश को अनुमोदित स्थानों पर सुरक्षित रूप से बंद करके रखा जाएगा। आसवनीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाश तैयार करते समय उनके द्वारा प्रयुक्त सैकरीन पदार्थ पूरी तरह घुल जाएँ, निर्धारित प्रपत्र में आसवनी अधिकारी को लिखित घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, और सामान्यतः उसे वह सभी जानकारी उपलब्ध करानी होगी जिसकी उसे आवश्यकता हो।

नियम–17

आधार जिनसे स्प्रिट बनाई जा सकती है– स्प्रिट गन्ने के रस, गुड़, शीरा, महुआ, जौ, गेहूं, मक्का, आलू या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत अन्य किसी विशिष्ट पदार्थ से बनाई जा सकती है।

नियम–17 क

पेय मदिरा हेतु अल्कोहल के विनिर्माण हेतु गैर शीरा कच्चा पदार्थ विशेषकर अनाज, आलू आदि का उपयोग उस सीमा तक किया जायेगा, कि ऐसा पदार्थ अधिशेष में उपलब्ध हो तथा निम्न गुणवत्ता का हो तथा मानव उपयोग के लिये उपयुक्त न हो।

नियम–18 (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

हानिकारक सामग्री का उपयोग न किया जाएकृआसवन में प्रयुक्त सामग्री अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक किसी भी सामग्री का उपयोग आसवन में नहीं किया जाएगा या उसे स्पिरिट में नहीं डाला जाएगा। आबकारी आयुक्त के आदेश पर स्पिरिट का विश्लेषण किया जाएगा और आसवक उन दोषों को दूर करने के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य होगा जिन्हें आबकारी आयुक्त महत्वपूर्ण मानते हैं। यदि स्पिरिट निम्न गुणवत्ता की और जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, उसके लिए अनुपयुक्त पाई जाती है, तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है और नष्ट किया जा सकता है या आबकारी आयुक्त के आदेश के तहत अन्यथा निपटाया जा सकता है। आसवनशालाओं के प्रभारी अधिकारियों को आबकारी आयुक्त के आदेश तक उस स्पिरिट के जारी होने को रोकने का अधिकार है जिसे वे खराब मानते हैं, और उन्हें ऐसे स्पिरिट के नमूने बिना किसी देरी के विश्लेषण के लिए भेजने होंगे।

नियम–18 क

भारत निर्मित विदेशी मदिरा का विनिर्माण पी०डी–1 या पी०डी०–2 प्रारूप में लाइसेंस प्राप्त आसवक को अपनी अनुज्ञप्त आसवनियों में पेय प्रयोजन हेतु भारत निर्मित विदेशी स्प्रिट को उस इक्स्ट्रा न्यूटल अलकोहल से बनाने की अनुमति दी जा सकती है जो निम्नलिखित विशिष्टयों के अनुरूप न हो–

(1) मूल नमूने में एल्डीहाइड तत्वों में एसिड एल्डीहाइस के रूप में परिगणित 0.004 ग्राम प्रति 100 एमएल से अधिक एल्डीहाइड नहीं होनी चाहिये।

(2) मूल नमूने के एसिड तत्वों में ऐसेटिक एसिड के रूप में परिगणित 0.002 ग्राम प्रति 100 मि०ली० से अधिक ऐसेटिक एसिड नहीं होने चाहिये।

(3) मादक पेय के लिए न्यूट्रल स्प्रिट हेतु भारतीय माानक आई०एस० 6613–1972 स्पेशीफिकेशन में यथाप्रदत्त परमैगनेट परीक्षण का विवरण जो इक्स्ट्रा न्यूटल अल्कोहल द्वारा दर्शित होना चाहिये निम्नानुसार है–

"काँच के स्टीपर युक्त सिलिण्डर, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा पूरी तरह साफ कर लिया गया हो, में 20 सी०सी० अल्कोहल डालिये, तदनन्तर डिस्टिल्ड वाटर (आसवित जल) से और अन्त में अल्कोहल जिसका परीक्षण किया जाना है, से धोइए। इसे लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करिये, इसमें सावधानी से साफ

किये गये पिपेट की सहायता से 0.1 सी०सी० साधारण पोटेशियम परमैगनेट का दसवीं भान (3.16 ग्राम प्रति लिटर) मिलाइए और मिश्रण का सही समय नोट कीजिए, तुरन्त स्टीपरयुका सिलिंडर को उल्टा करके मिलाइए, फिर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट रखिए। गुलाबी रंग पूर्णतया लुप्त नहीं होना चाहिए।"

(4) नमूना साफ पानी को समान सफेद द्रव होना चाहिये।

(5) पानी के साथ अनुपात में बिना तलछट या "आपारदर्शिता हो जाना चाहिये।

(6) विशिष्ट स्प्रिट गन्ध।

(7) घोल या विलम्बन में ठोस पदार्थ रहित होना चाहिए जब 10 मिलीलीटर को वाष्पीकृत किया जाय तो भारहीन धब्बा शेष रहे।

नियम–19 (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

पी.डी. 1 फॉर्म या पी.डी. 2 फॉर्म में लाइसेंस रखने वाले डिस्टिलर के लिए स्पिरिट में किसी भी तरह का स्वाद, रंग या कोई अन्य पदार्थ मिलाने के लिए आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा और ऐसा कोई भी लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमत सीमा को छोड़कर स्वाद, रंग या कोई अन्य पदार्थ नहीं मिलाएगा। लाइसेंसधारी, आबकारी निरीक्षक को पूर्व सूचना दिए बिना स्पिरिट में रंग या स्वाद डालने के प्रयोजनों के लिए डिस्टिलरी के परिसर में कोई भी पदार्थ नहीं लाएगा और आबकारी निरीक्षक फॉर्म पी.डी. 32 में एक रजिस्टर रखेगा और डिस्टिलरी के परिसर में लाए गए ऐसे सभी पदार्थों या सामग्री को उस रजिस्टर में विधिवत दर्ज किया जाएगा। डिस्टिलरी परिसर में लाए गए ऐसे सभी पदार्थों या सामग्री को उसके मूल कंटेनर या कैप्सूल में रखा जाएगा, सील बरकरार रखी जाएगी और रंग, स्वाद देने की प्रक्रिया आबकारी निरीक्षक की देखरेख में की जाएगी। किसी भी पदार्थ का रंग, स्वाद या मिश्रण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उत्तर प्रदेश सरकार के रासायनिक परीक्षक ने उसके नमूने की जांच न कर ली हो और उसे अनुमोदित न कर दिया होः

परन्तु यदि आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी फर्म द्वारा निर्मित ऐसा कोई पदार्थ आसवनी परिसर में लाया जाता है और मूल लेबल और कैप्सूल के साथ वहां रखा जाता है, तो इस नियम के तहत वर्ष में केवल एक बार इसकी जांच की जानी आवश्यक होगी।

नियम–20 (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

आसवनी में उन व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है जिनका आसवनी में कोई व्यवसाय नहीं हैकृआसवनी केवल उन्हीं व्यक्तियों के प्रवेश और निकास के लिए खुली रहेंगी जिनका आसवनी में कोई व्यवसाय है। आबकारी विभाग के अधिकारियों और अन्य सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, आसवनीकर्ताओं, उनके कर्मचारियों और स्पिरिट खरीदने आए लाइसेंसधारी विक्रेताओं के अलावा किसी को भी किसी भी बहाने से परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। अन्य लोग केवल प्रभारी अधिकारी की अनुमति से ही प्रवेश कर सकते हैं, बशर्ते कि उन व्यक्तियों को अनुमति न दी जाए जिनके आसवनी में प्रवेश पर आसवनीकर्ताओं द्वारा आपत्ति की जा सकती है।

नियम–21

21(i) आसवनियों में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर नियंत्रण आसवनी या भण्डागार में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति आसवनी और भण्डागार के अन्दर अपने चरित्र और कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी के आदेशों के अधीन रहेंगे और प्रभारी अधिकारी के विवेकानुसार परिसर छोड़ते समय उनकी तलाशी ली जा सकती है।

टिप्पणी–प्रभारी अधिकारी को यह समझ लेना चाहिये कि तलाशी लेने का अधिकार विवेकानुसार प्रयोग किया जाना चाहिये। किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति की तलाशी सिवाय सन्देह के अत्यधिक पर्याप्त आधारों के नहीं ली जानी चाहिये। चतुर्थ श्रेणी के शेवकों को छोडकर सभी व्यक्तियों के तलाशी के मागलों की प्रविष्टि डायरी में अपनी कार्यवाही के लिये अधिकारी के कारण सहित की जानी चाहिये।

(ii) आसवनियों से स्प्रिट की निकासी पर नियंत्रण आसवनी के प्रवेश/निकाश द्वार पर आसवनियों द्वारा सी०सी० टी०वी० कैमरों की स्थापना निम्नवत् प्रक्रिया अनुत्तार किया जायेगा–

1– आसवनिग्रो ने प्रवेश एवं निकास हेतु केवल एक ही द्वार होगा।

2– आसवनियों द्वारा आवसनी के प्रवेश/निकास द्वार पर आई०पी०एड्रेस सहित सी०सी० टी०वी कैमरे की स्थापना की जायेगी।

3 – आई०पी०एड्रेस सहित सी०सी०टी०वी० कैमरे
चौबीस घंटे संचालित तथा निरनार कार्यशीलरहेगे।

4– आसवनी में आई०पी०एड्रेस सहित सी०सी० टी०वी कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जायेगे, जिससे आसवनी में कच्या माल (शीरा/ग्रेन/पेट बोतल/टेट्रा पैक/कार्टून/लेबिल/फैरामेल आदि), मदिरा व अन्य उत्पाद लेकर प्रवेश करने वाले व बाहर जाने वाले वाहनों (टंकर/लारी) की नम्बर सहित रिकार्डिंग हो सके तथा इसका डिजिटल रिकार्ड भी अनुरक्षित किया जायेगा और आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किया जायेगा।

5–सी०सी०टी०वी० फैगरा की रियल टाइम मानिटरिंग मुख्यालय से इंटरनेट के माध्धाम से करने हेतु आसवनी द्वारा अपने कैमरा कम्प्यूटर का आई०पी० एड्रेस आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

6–सी०सी०टी०वी० कैमरे से की जाने वाली एक माह की रिकार्डिंग पूर्ण हो जाने पर उसकी डी०वीडी०/ हार्डडिस्क/पोर्टेबिल डिस्क बना ली जायेगी और उक्त डी० वी० सी०/हार्डडिस्क/पोर्टेबिल डिस्क पर रिकार्डिंग की अवधि अंकित की जायेगी।

7–डी0वी0डी0/हार्डडिस्क/पोर्टबिल डिस्क पर प्रभारी अधिकारी आसवनी/आसवनी की प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगे।

8–उक्त मीडिया की एक प्रति प्रभारी अधिकारी आसवनी में पास तथा तीसरी प्रति आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के कार्यालय में परिरक्षित हागी।

9– एक माह की उक्त स्टोरेज मीडिया तैयार होने के बाद अगले 12 माह तक परिरक्षित की जायेगी।

10– आसवनी से स्प्रिट/देशी शराब/विदेशी भदिरा के पारेषण (डिस्पैच) जी०पी०एस० युक्त वाहनों (टैंकर/कन्साइनमेन्ट) के माध्यम से ही प्रेषित किये जायेंगे, जिसकी केवल वास्तविक समय के आधार पर निगरानी आनलाईन की जायेगी।

11– पी०डी०–25/एफ०एल०–36 पालेस में अनिवार्य रूप से सम्बन्धित वाहनों का टेयरवेट अंकित किया जायेगा, जिसका डिजिटल रिकार्ड भी अनुरक्षित किया जायेगा और आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर प्रतिदिन आनलाइन अपलोड किया जायेगा।

12– आसव की सम्पूर्ण मात्रा के एक पारेपण का परिवहन अगैर विखण्डित किये एक साथ किया जायेगा और ई–ट्रांजिट पास में निर्धारित पारिवहन मार्ग से विचलन की दशा में आसवनी/यवासवनी के अनुज्ञापियों का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शास्ति अधिरोपित की जायेगी। यदि आसवनी एक से अधिक बार एक ही विधिमान्य परमिट पर कन्साइनमेन्ट पारेषण हेतु ई–ट्रांजिट पास का छद्मपूर्ण एवं कपटपूर्ण उपयोग करने में लिप्त पायी जाती है तो प्रभारी आसवनी अधिकारी तथा आसवनी स्वामी दण्ड के भागी होंगे।

नियम–21–क (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

पी.डी.–2 लाइसेंस धारक आसवनी में तैनात गार्ड – सरकारी भवनों में कार्यरत आसवनी के मामले में:

(1) यदि आबकारी आयुक्त आवश्यक समझे तो आसवनी पर निगरानी और निगरानी के लिए एक नायक और तीन कांस्टेबलों वाला एक पुलिस गार्ड तैनात किया जा सकता है। उसे दिन–रात गेट की रखवाली के लिए एक संतरी उपलब्ध कराना होगा। गार्ड के कर्तव्यों का विवरण देने वाला एक पत्रक गार्ड का नेतृत्व करने वाले नायक के पास रहेगा।

(2) आसवनी के अधिकारियों, आसवनी बनाने वालों और कामगारों के प्रवेश के लिए भोर होते ही आसवनी का गेट खोल दिया जाएगा और सूर्यास्त के समय जब सभी व्यक्तियों को आसवनी छोड़नी होगी, तब उसे बंद कर दिया जाएगा। आसवनी के गेट की चाबी दिन में ड्यूटी पर तैनात संतरी के पास और रात में नायक के पास रहेगी। सामान्यतः, आसवनी का द्वार बंद रखा जाएगा और इसे केवल प्राधिकृत व्यक्तियों को अंदर–बाहर जाने,

सामग्री, ईंधन या संयंत्र के प्रवेश तथा स्प्रिट और अपशिष्ट उत्पादों के बाहर निकलने के लिए ही खोला जाएगा।

(3) आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा आसवनी में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों की सूची गार्ड के प्रभारी नायक को सौंपी जाएगी।

नियम–22 (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

आसवक अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए कानून आदि के उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य हैंकृयदि किसी आसवक को यह पता चलता है कि उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति ने आबकारी कानूनों या उसके द्वारा किए गए अनुबंधों का उल्लंघन किया है, तो उसका यह कर्तव्य होगा कि वह मामले की सूचना कलेक्टर को दे और ऐसे व्यक्ति की निरंतर नियुक्ति के संबंध में कलेक्टर अधिकारी के निर्देशों का पालन करे।

नियम–23 (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

उपद्रवी व्यक्तियों आदि का निष्कासनकृकिसी आसवक या गोदाम का प्रभारी अधिकारी परिसर से ऐसे किसी भी व्यक्ति को निष्कासित या बहिष्कृत कर सकता है जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने इन नियमों या आबकारी अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन किया है या करने वाला है, या जो नशे में है या अव्यवस्थित है। इस नियम के तहत ऐसे किसी भी अधिकारी द्वारा की गई सभी कार्रवाई उसके द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक डायरी में तुरंत लिखित रूप में दर्ज की जाएगी।

नियम–24

आसवकों द्वारा लेखे रखो जायेंगे–आसवक नियमित रूप से दैनिक लेखा रखेगा। लेखों में प्रयुक्त पदार्थों की मात्रा एवं विवरण लहन तथा निर्मित स्प्रिट की माचाये, बाहर गयी स्प्रिंट की मात्रा और प्रत्येक वाट या अन्य पात्रों में संचित लहत और स्प्रिंट की मात्रायें दर्शित की जायेंगी तथा इसका डिजिटल रिकार्ड भी अनुरक्षित किया जायेगा तथा आयकारी विभाग के पोर्टल पर प्रतिदिन आनलाइन अपलोड किया जायेगा।

टिप्पणी–आसवकों को अपने वांछित प्रपत्र में लेखा रखना होगा, किन्तु उक्त लेखा में उपरिनिर्दिष्ट विवरण अन्तर्विष्ट होंगे।

नियम–25 (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

आसवकों के खाते निरीक्षण हेतु खुले रहेंगे – ऐसे खाते प्रभारी अधिकारी और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण हेतु हर समय खुले रहेंगे।

नियम–26

26–किसी आसवनी में संग्रहीत विभिन्न प्रकार की स्प्रिंट (बोतल में भरी गई स्प्रिंट को छोड़कर) के लिये छीजन की निःशुल्क छूट निम्नलिखित होगी–

(1) साधारण एवं मसालेदार स्प्रिंट 0.7 प्रतिशत

(2) परिशोधित स्प्रिंट और परिष्कृत 0.4 प्रतिशत

(3) विकृत स्प्रिट 0.5 प्रतिशत

यदि किसी प्रकार की स्प्रिंट पर कुल छीजन 1.5 प्रतिशत से अधिक न हो.तो निःशुल्क छूट से अधिक की शुद्ध छीजन पर शुल्क लिया जायेगा। किन्तु यदि कुल छीजन 15 प्रतिशत से अधिक हो तो निशुल्क छुट दिये बिना सम्पूर्ण छीजन पर निम्नलिखित दर से शुल्क लिया जायेगा–

(क) आसवनी में संचित स्प्रिंट के छीजन एवं आसवनी से निर्गमित स्प्रिंट के मार्गनयन छीजन पर प्रतिफल शुल्क की दरें–

1 सादा एवं परिशोधित स्प्रिट–

1. सादा स्प्रिट पर तीव्र देशी शराब 36 प्रतिशत वी/वी के रूप में उद्ग्रहणीय प्रतिफल शुल्क की दर से
2. परिशोधित स्प्रिट पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा के ''इकोनोमी श्रेणी'' पर उद्ग्रहणीय प्रतिफल शुल्क की दर से।

2– परिष्कृत स्प्रिट देशी मसालेदार स्प्रिट सहित

1. परिष्कृत स्प्रिट पर भारत निर्मित निर्मित स्प्रिंट देशी विदेशी मदिरा के "इकोनोमी श्रेणी" मसालेदार पर उदग्रहणीय प्रतिफल शुल्क की दर से।
2. मसालेवार देशी मदिरा पर तीव्र देशी शराब के 36 प्रतिशत वी/वी के रूप उदग्रहणीय प्रतिफल शुल्क की दर से

3– विकृत और विशेष विकृत स्प्रिट

अभिवहन में अतिशय छीजन पर (धारा–64 के अधीन अपराध) वह धारा–74 के अधीन यथाविहित रूप में शमनीय होगा।

4–भारत निर्मित विदेशी मदिरा (बोतलो में भरी हुई)

भारत निर्मित विदेशी मदिरा की सुसंगत श्रेणी पर उदग्रहणीय प्रतिफल शुल्क की दर से

परन्तु यदि आबकारी आयुक्त के सन्तोषानुस्वर य साबित कर दिया कि विहित सीमा से अधिक कभी या चीजन किसी दुर्घटना या अन्य अपरिहार्य कारण से हुई है तो ऐसी कमी या चीजन पर शुल्क देने की अपेक्षा नहीं की जायेगी। जब छीजन विहित सीमा से अधिक न हो. तब प्रभारी अधिकारी द्वारा किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है किन्तु मासिक स्टाक की जांच करते समय यदि किसी मामले में छीजन विहित सीमा से अधिक पायी जाय तो प्रभारी अधिकारी को आसवक से लिखित स्पष्टीकरण लेना चाहिये और उसे परिस्थतियों की पूर्ण रिपोर्ट सहित प्रभार के सहायक आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त को भेजना चाहिये। सहायक आयकारी आयुक्त/उप आबकारी आयुका अतिरिक्त छीजन पर शुल्क लेगा यदि उसका समाधान हो जाय कि विहित सीमा से अधिक छीजन किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारण से नहीं हुई है। यदि अतिरिक्त छीजन किसी दुर्घटना या अपरिहार्य कारण से हुई है तो मामला आबकारी आयुक्त को आदेश के लिये निर्दिष्ट किया जायेगा।

नियम–27

आसवकों का उन सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा जो पहले से ही लागू हैं या जिन्हें आबकारी आयुक्त द्वारा आगे निर्धारित किया जा सकता हैकृआसवक, आसवनी के प्रबंधन और उनसे स्पिरिट जारी करने के लिए सभी सामान्य नियमों से, जो पहले से ही लागू हैं या जो विद्यमान आबकारी कानून के अंतर्गत या आगे बनाए जाने वाले किसी कानून के अंतर्गत निर्धारित किए जा सकते हैं, तथा आबकारी आयुक्त द्वारा व्यक्तिगत आसवनी के संबंध में जारी किए गए सभी विशेष आदेशों से बाध्य होंगे और स्पिरिट के निर्माण, जारी करने आदि में उनके द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों से ऐसे सभी नियमों का पालन करवाएंगे।

नियम–27–क

27 (क) आसवको द्वारा अभिकर्ताओं तथा अन्य समस्त सेवको की नियुक्ति प्रभारी उप आबकारी आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होगी। वह यदि किसी व्यक्ति को अवांच्छनीय समझे तो उसे सेया से पृथक् करने या उसकी नियुक्ति को निषिद्ध करने का आदेश दे सकता है, परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (अधिनियम संख्या 14 सन् 1947) की धारा 2 (एस) द्वारा परिभाषित "मर्कमेन (कर्मकार) के अर्न्तगत आता है. उसे श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व परामर्श के विना नहीं हटाया जायेगा

परन्तु यह कि अम आयुक्त तथा उप आबकारी आयुक्त की राय में व्यक्ति को सेवा से हटाने सम्बन्धी किसी बिन्दु पर मतभेद होने पर मामले को तुरन्त आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को आदेशार्थ सन्दर्भित किया जायेगा।

(2) उप आयकारी आयुक्त द्वारा किसी व्यक्ति को सेवा से पृथक करने व नियुक्ति निषिद्ध करने सम्बन्धी दिये गये आदेश के विरूद्ध आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को अपील की जा सकती है।

(3) जब किसी व्यक्ति पर उत्पाद शुल्कारोप्य वस्तुओं की चोरी करने कर सन्देह हो और राजस्व के हित की सुरक्षा वा अनुशासन के हित में उस व्यक्ति का आसवनी से तुरन्त हटाना आवश्यक समझा जाय तो सविदाकार को यह कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति को सेवा से हटाये जाने के सम्बन्ध में श्रम आयुक्त की सहमति प्राषा होने तक दोषी वर्कमेन (कर्मकार) की दूसरे विभाग में लगा दें, जहां से उसका आसवनी में प्रवेश करना आवश्यक न हो।

नियम–28

पेय मदिरा निर्माता पी०डी०–2 लाइसेंसधारक आसवनियों देशी शराब के थोक विक्रय के अनुज्ञापियों द्वारा मांग किये जाने पर देशी शराब की आपूर्ति, आबकारी आयुक्त द्वारा यथानिर्धारित समयान्तर्गत किये जाने हेतु बाध्य होगी। थोक मदिरा विक्रय अनुज्ञापियों द्वारा दिये गये मांग पत्रों का निस्तारण प्रथम आवक प्रथम पावक के अधार पर किया जायेगा। पूर्वोक्त अनिवार्य उपबंध उल्लंघन करने पर आसवनियों के अनुज्ञापियों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शास्ति आरोपित की जा सकती है।

नियम–29 (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

पेय मदिरा विनिर्माण हेतु पी०डी०–2 लाइसेंस धारक आसवनियां पेय मदिरा के थोक विक्रेताओं से प्राप्त मांग–पत्र में सम्मिलित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क को 02 कार्य दिवस में कोषागार में जमा करेंगी, जिसमें विफल रहने पर रु० 5,000 (पांच हजार रुपये) प्रतिदिन की दर से आसवनी पर शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

नियम–30 (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

पेय मदिरा विनिर्माण हेतु पी०डी०–2 लाइसेंस धारक आसवनियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुसार आबकारी आयुक्त की पूर्वानुनति से पेट बोतलों या कांच की बोतलों का प्रयोग मदिरा की भराई हेतु किया जायेगा।

नियम–31 (एक्साइज मैनुअल से लिया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद गूगल से किया गया है)

आसवनियां, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 में यथा विहित ठोस अपशिष्टों के पुनर्चक्रण तथा प्रबन्धन के लिये ऐसी समस्त व्यवस्थायें करेंगी।

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
1(1) कोई व्यक्ति जो आसवनी स्थापित करने के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने का इच्छुक हो, वह उस जिले के जहाँ वह अपनी आसवनी स्थापित करना चाहें, कलेक्टर को प्रपत्र पी०डी० 32 में एक आवेदन–पत्र देगा और कलेक्टर उसके आवेदन पत्र को आबकारी आयुक्त के आदेशार्थ उसके पास अग्रसारित करेगा तथा आवेदन पत्र अभिहित पोर्टल पर भी अपलोड करेगा। (2) उसका आवेदन–पत्र ग्रहण कर लिये जाने पर आवेदन अनुमोदनार्थ उस भवन का विवरण एवं उसका भूटैग, जिसमें अक्षांश व देशान्तर प्रदर्शित हो तथा नक्शा (प्लान) जिसमें वह अपनी आसवनी बनाना चाहता हो, और एक तालिका भी प्रस्तुत करेगा जिसमें भपकों तथा अन्य सभी स्थाई साधित्र का विवरण और आकार दिये होंगे। ये नक्शे ट्रेसिंग कपड़े पर माप के अनुसार होंगे जिसमें प्रयुक्त किये जाने वाले प्रत्येक बर्तन (बेसेल) की ठीक–ठीक स्थिति और विभा तथा रंग द्वारा समस्त पाइपों और चैनलों का ट्रेसिंग कोर्स जिनका सम्बन्धित विषय पर नियमानुसार वास्तव में प्रयोग किया जायेगा तथा आसवनी के और महत्वपूर्ण भागों जैसे कि ग्राही कक्ष (रिसीवर रूम) तथा भांडागार की ऊंचाई दी जायेगी। (3) यदि आबकारी आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वे आवश्यक समझे समाधान हो जाय तो वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिसे राज्य सरकार आरोपित करना उचित समझे, आवेदक द्वारा रूपये 5,00,000 (पाँच लाख) की फीस का भुगतान करने पर आसवनी की स्थापना के लिये प्राधिकृत कर सकता है और प्रपत्र पी०डी०–33 में लाइसेंन्स देगा। टिप्पणी–प्रदेश की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये आबकारी आयुक्त को यह शक्ति होगी कि वह लाइसेंस के लिये दिये गये किसी आवेदन–पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करें। (4) उपयुक्त लाइसेंस, जारी किये जाने के दिनांक से केवल एक वर्ष के लिये (जब तक कि अवधि विशिष्टतया न बढ़ाई जाय) विधिमान्य होगा और ऐसी अवधि में लाइसेन्सधारी आसवनी की स्थापना हेतु भूमि, भवन, संयत्र मशीनरी तथा अन्य उपस्कर प्राप्त करने	1(1) कोई व्यक्ति जो आसवनी स्थापित करने के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने का इच्छुक हो, वह उस जिले के जहाँ वह अपनी आसवनी स्थापित करना चाहे, कलेक्टर को प्रपत्र पी०डी० 32 में एक आवेदन–पत्र देगा और कलेक्टर उसके आवेदन पत्र को आबकारी आयुक्त के आदेशार्थ उसके पास अग्रसारित करेगा तथा आवेदन पत्र अभिहित पोर्टल पर भी अपलोड करेगा। (2) उसका आवेदन–पत्र ग्रहण कर लिये जाने पर आवेदक, अनुमोदनार्थ उस भवन का विवरण एवं उसका भूटैग, जिसमें अक्षांश व देशान्तर प्रदर्शित हो तथा नक्शा (प्लान) जिसमें वह अपनी आसवनी बनाना चाहता हो, और एक तालिका भी प्रस्तुत करेगा जिसमें भपकों तथा अन्य सभी स्थाई साधित्र का विवरण और आकार दिये होंगे। ये नक्शे ट्रेसिंग कपड़े पर माप के अनुसार होंगे जिसमें प्रयुक्त किये जाने वाले प्रत्येक बर्तन (बेसेल) की ठीक–ठीक स्थिति और विभा तथा रंग द्वारा समस्त पाइपों और चैनलों का ट्रेसिंग कोर्स जिनका सम्बन्धित विषय पर नियमानुसार वास्तव में प्रयोग किया जायेगा तथा आसवनी के और महत्वपूर्ण भागों जैसे कि ग्राही कक्ष (रिसीवर रूम) तथा भांडागार की ऊंचाई दी जायेगी। (3) यदि आबकारी आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाय तो वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिसे राज्य सरकार अधिरोपित करना उचित समझे, आवेदक द्वारा रूपये 5,00,000 (पाँच लाख) की फीस का भुगतान करने पर आसवनी की स्थापना के लिये प्राधिकृत कर सकता है और प्रपत्र पी०डी०–33 में लाइसेंन्स देगा। टिप्पणी–राज्य की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये आबकारी आयुक्त को यह शक्ति होगी कि वह लाइसेंस के लिये दिये गये किसी आवेदन–पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करे। (4) उपयुक्त लाइसस जारी किये जाने के दिनाक से दो वर्ष के लिये विधिमान्य होगा और ऐसी अवधि में लाइसेन्सधारी आसवनी की स्थापना हेतु भूमि, भवन, संयत्र मशीनरी तथा अन्य उपस्कर प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। इससे स्प्रिट के निर्माण के लिये

की व्यवस्था करेगा। इससे स्प्रिट के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये जाने के निमित्त कोई अधिकार अथवा विशेषाधिकार प्राप्त न होगा और इसे, किसी भी समय, लोकहित में, लाइसेंसधारी को लाइसेंस विखंडित करने या उसे वापस लेने की कार्यवाही किये जाने के विरूद्ध कारण बताने का नोटिस देने और उसकी सुनवाई, यदि वह चाहे, करने के पश्चात विखंडित किया अथवा वापस लिया जा सकेगा। जब लाइसेंस इस प्रकार विखंडित किया जाय या वापस लिया जाय तो क्षति या हानि के लिये कोई प्रतिकर देय न होगा।	लाइसेंस दिये जाने के निमित्त कोई अधिकार अथवा विशेषाधिकार प्राप्त न होगा और इसे, किसी भी समय, लोकहित में, लाइसेंसधारी को लाइसेंस विखंडित करने या उसे वापस लेने की कार्यवाही किये जाने के विरूद्ध कारण बताने का नोटिस देने और उसकी सुनवाई, यदि वह चाहे. करने के पश्चात विखंडित किया अथवा वापस लिया जा सकेगा। जब लाइसेंस इस प्रकार विखंडित किया जाय या वापस लिया जाय तो क्षति या हानि के लिये कोई प्रतिकर देय न होगा। (5) यदि लाइसेंसधारक, उप नियम (4) के अधीन दिये गये समय के भीतर विनिर्देशों और गुणवत्ता मानकों के अनुसार आसवनी चलाने में विफल रहता है. तो लाइसेंसधारक, रू. 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार मात्र) अतिरिक्त फीस का भुगतान करके एक वर्ष के लिये लाइसेंस बढ़ाये जाने के लिये आवेदन कर सकता है। (6) किसी अन्य नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये, भी लाइसेंसधारी, जिसे पेय मदिरा के प्रयोजनार्थ प्रपत्र पी०डी०–33 में लाइसेंस प्रदान किया गया हो, बोतल भराई नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट निबन्धन और शर्तो के अधीन पेय मदिरा के विनिर्माण के लिये अन्य आसवनियों से एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल कय कर सकता है, धारित कर सकता है और उसका उपभोग कर सकता है।

नियम 2 की संशाधन–3–उक्त नियमावली में, नियम 2 में, उप नियम (5) में –(क) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (ख) के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ख) ऐसे भवनों में या ऐसे भबकों तथा अन्य स्थायी उपकरणों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन आबकारी आयुक्त के अनुज्ञा के बिना नही किया जायेगा। यदि कोई परिवर्तन करने की स्वीकृति दी जाये तो उस विवरण तथा नक्शे को नये सिरे से प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि आबकारी आयुक्त ऐसा निर्देश दें तो आसवनी के प्रभावी अधिकारी ऐसे भवनों या भबकों तथा अन्य स्थायी उपकरणों में छुद्र परिवर्तन करने की उसके अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन रहते हुये अनुज्ञा दे सकता है।	(ख) ऐसे भवनों में या ऐसे भभकों तथा अन्य स्थायी उपकरणों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन आबकारी आयुक्त के अनुज्ञा के बिना नही किया जायेगा। यदि परिवर्तन करने की स्वीकृति दी जाये तो उस विवरण तथा नक्शे को नये सिरे से प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि आबकारी आयुक्त ऐसा निदेश दे तो आसवनी के प्रभारी अधिकारी ऐसे भवनों या भभकों तथा अन्य स्थायी उपकरणों में छुद्र परिवर्तन करने की उसके अनुवर्ती अनुमोदन के अध्यधीन अनुज्ञा दे सकता है। परन्तु यह कि सम्बन्धित प्रभार के उप

	आबकारी आयुक्त द्वारा निम्नलिखित गौण परिवर्तन या अतिरिक्त कार्य किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है– 1–शीरा टैंकोंा के मरम्मत का कार्य। 2–पाइप लाइनों के मरम्मत का कार्य। 3–आसवनियों में स्थापित शीरा भण्डारण टैंकों एवं एथनाल भण्डारण टैंकों एवं चीनी मिल में स्थापित शीरा नण्डारण टैंकों को बी–हैवी एवं सी हैवी शीरा एवं एथनाल के उपयोग हेतु वर्गीकृत किये जाने का कार्य। 4–आसवनी भवन का मरम्मत कार्य। 5–नैत्यिक प्रकृति के अन्य कार्य। परन्तु यह और कि ऐसे कार्यों से उत्पादन क्षमता प्रभावित नहीं होगी और उक्त कार्य आबकारी आयुक्त की संसूचना के अधीन अनुमोदित आरेखण के अनुसार हों।

(ख) खण्ड ड. के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

2 (5) (ड.ड.) (1) पेय मदिरा विनिर्मित करने वाली आसवनियों को स्वीकृत पेय क्षमता के अन्तर्गत पेय मदिरा विनिर्मित करने के लिये एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल कय करने की अनुज्ञा होगी।

(2) क्षमता बढ़ाने के लिये स्वीकृत आसवनियों को नियम 2 (5) (च) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये पेय मदिरा विनिर्मित करने के लिये एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल क्रय करने की अनुज्ञा होगी।

(ग) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (च) के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(च) उन आसवनियों को जिन्हें आसयनी की अधिष्ठापित क्षमता के विस्तार की अनुमति प्रदान की जा चुकी है, विस्तारित क्षमता का 90 प्रतिशत तक पेय मदिरा निर्माण ई०एन०ए० कय कर किये जाने की अनुमति हेतु दो वर्ष की देय लाइसेंस फीस जमा करने पर इस शर्त पर दी जा सकेगी कि दो वर्षों में प्लांट/मशीनरी की स्थापना करके विस्तारित अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार अल्कोहल/ ई०एन०ए० का उत्पादन प्रारम्भ कर लिया जायेगा, उसमें विफल रहने पर उनकी विस्तार क्षमता स्वतः स्थगित समक्षी जायेगी।	(च) उन आसवनियों को, जिन्हें आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता के विस्तार की अनुमति प्रदान की जा चुकी है, विस्तारित क्षमता के 60 प्रतिशत तक पेय मदिरा निर्माण ई०एन०ए० कय कर किये जाने की अनुज्ञा दो वर्ष की देय लाइसेंस फीस जमा करने पर इस शर्त पर दी जा सकेगी कि दो वर्षों में प्लांट और मशीनरी की स्थापना करके विस्तारित अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार अल्कोहल/ई०एन०ए० का उत्पादन प्रारम्भ करना सुनिश्चित कर लिया जायेगा, उसमें विफल रहने पर उनकी विस्तारित पेय क्षमता स्वतः स्थगित समझी जायेगी। परन्तु यह कि आसवनी अपनी सम्पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता का 90 प्रतिशत उपयोग कर ली हो और

	तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में अपनी अधिष्ठापित पेय क्षमता का 90 प्रतिशत और चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ववर्ती माहों में समानुपातिक क्षमता में उपयोग कर ली हो।

(घ) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (ञ) के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
2(5) (ञ) नई पेय आसवनी स्थापित करने और पेय मदिरा उत्पादन/उसकी क्षमता में वृद्धि हेतु औद्योगिक आसवनियों/कैप्टिव आसवनियों को अनुज्ञा प्रदान करने के लिये आयुक्त, अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति, आबकारी आयुक्त से, उसकी सहमति तथा संस्तुति सहित, प्राप्त आवेदनों के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात् संस्तुति प्रदान करेगी जिस पर अन्तिम विनिश्चय माननीय आबकारी मंत्री द्वारा किया जायेगा। समिति का गठन निम्नानुसार होगा – (1) आयुक्त, अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास अध्यक्ष (2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग सदस्य (3) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग सदस्य / संयोजक (4) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश सदस्य	(ञ) नई पेय आसवनी स्थापित करने और औद्योगिक आसवनियों / कैप्टिव आसवनियों को पेय मदिरा उत्पादन करने / उसकी क्षमता में वृद्धि करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिये अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति, आबकारी आयुक्त से, उसकी सहमति तथा संस्तुति सहित, प्राप्त आवेदनों के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात् संस्तुति प्रदान करेगी जिस पर अन्तिम विनिश्चय माननीय आबकारी मंत्री द्वारा किया जायेगा। समिति का गठन निम्नानुसार होगा– (1) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अध्यक्ष (2) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश सदस्य (3) वित्त विभाग का अधिकारी जो विशेष सचिव की श्रेणी से न्यून न हो सदस्य (4) औद्योगिक विकास विभाग का अधिकारी जो विशेष सचिव की श्रेणी से न्यून न हो सदस्य (5) चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग का अधिकारी जो विशेष सचिव की श्रेणी से न्यून न हो सदस्य (6) विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, आबकारी विभाग–सदस्य/संयोजक

नियम–15 ख का संशोधन–4– उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–15 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
15 (ख) आसवक ऐसी न्यूनतम किण्वन और आसवन दक्षता बनाये रखने और अल्कोहल के उत्पादन के लिये उपयुक्त शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतय स्वीकृत पदार्थ से	15 (ख)(1) आसवक ऐसी न्यूनतम किण्वन और आसवन दक्षता बनाये रखने और अल्कोहल के उत्पादन के लिये उपयुक्त शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतय

ऐसे न्यूनतम अल्कोहल की प्राप्ति के लिये उत्तरदायी होंगे, जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किया जाय। टिप्पणी–आबकारी आयुक्त द्वारा विहित न्यूनतम किण्वन और आसवन दक्षता और शीरे, गन्ने के रस, गुड. महुवा, जौ, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतय स्वीकृत पदार्थ से अल्कोहल की प्राप्ति निम्नलिखित प्रकार से है– (एक) किण्वन दक्षता.... (दो) आसवन दक्षता...... (तीन) न्यूनतम अल्कोहल की प्राप्ति........ शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतय स्वीकृत पदार्थ में विद्यमान 84 प्रतिशत किण्वीय शक्कर। वाश में विद्यमान सत्तानचे (97) प्रतिशत अल्कोहल । अल्कोहल के उत्पादन के लिये उपयुक्त शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतय स्वीकृत पदार्थ में विद्यमान प्रति क्विन्टल किण्वीय शक्कर से बावन दशमलव पाँच (52.5) लीटर अल्कोहल । (2) विहित न्यूनतम दक्षता बनाये रखने और अल्कोहल की प्राप्ति में विफल होने पर संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन आरोपित किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त आसवकों का लाइसेन्स रद्द किया जा सकेगा और प्रतिभूति जमा का समपहरण हो जायगा। आसवनी का प्रभारी अधिकारी तीन क्रमिक उत्पादन में उपयुक्त शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा. जौ, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतया स्वीकृत पदार्थ का सामूहिक नमूना लेगा और उपयुक्त विधि से इस बात की पुष्टि करते हुये कि परिवहन के दौरान नमूने की किण्वीय शर्करा में कोई हास नहीं होगा, उसे तीन बराबर भाग में विभाजित करेगा और प्रभारी अधिकारी अपनी मुहर बन्द करेगा। सम्यक् रूप से मुहरबन्द किये गये नमूने का दो भाग आसवकों को दिया जायगा जो उसमें से एक भाग की किण्वीय शर्करा का प्रतिशत अवधारित करने के लिये, यथा स्थिति, रासायनिक परीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार या	स्वीकृत पदार्थ से ऐसे न्यूनतम अल्कोहल की प्राप्ति के लिये उत्तरदायी होंगे, जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किया जाय। टिप्पणी–आबकारी आयुक्त द्वारा विहित न्यूनतम किण्वन और आसवन दक्षता और शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतय स्वीकृत पदार्थ से अल्कोहल की प्राप्ति निम्नलिखित प्रकार से है– (एक) किण्वन दक्षता..... शीरे, गन्ने के रस, गुड़. महुवा, जौ, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतय स्वीकृत पदार्थ में विद्यमान 84 प्रतिशत किण्वीय शक्कर। (दो) आसवन दक्षता...... वाश में विद्यमान सत्तानबे (97) प्रतिशत अल्कोहल । (तीन) न्यूनतम अल्कोहल की प्राप्ति........ अल्कोहल के उत्पादन के लिये उपयुक्त शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जी, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतया स्वीकृत पदार्थ में विद्यमान प्रति क्विन्टल किण्वीय शक्कर से बावन दशमलव पाँच (52.5) लीटर अल्कोहल । (2) विहित न्यूनतम दक्षता बनाये रखने और अल्कोहल प्राप्त करने में विफल होने पर संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन आसवक (एक) शास्ति अधिरोपित किये जाने या प्रतिभूति जमा समपहृत हो जाने अथवा दोनों के लिये अथवा (दो) लाइसेन्स रद्द किये जाने और प्रतिभूति जमा समपहृत हो जाने के लिये दायी होंगे। आसवनी का प्रभारी अधिकारी, तीन क्रमिक उत्पादन में उपयुक्त शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतया स्वीकृत पदार्थ का सामूहिक नमूना लेगा और उपयुक्त विधि से इस बात की पुष्टि करते हुये कि परिवहन के दौरान नमूने की किण्वीय शर्करा में कोई हास नहीं होगा, उसे तीन बराबर भाग में विभाजित करेगा और प्रभारी अधिकारी अपनी मुहर बन्द करेगा। सम्यक् रूप से मुहर बन्द किये गये नमूने का दो भाग आसवकों को दिया जायगा जो उसमें से एक भाग की किण्वीय शर्करा का प्रतिशत अवधारित करने के लिये, यथा स्थिति, रासायनिक परीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार या आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या

आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अभिकरण को भेजेंगे और दूसरा भाग अपने पास रख लेंगे। सम्यक् रूप से मुहर बन्द नमूना का तीसरा भाग प्रभारी अधिकारी द्वारा रख लिया जायेगा। रासायनिक परीक्षक या आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या अभिकरण द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आसवनी का प्रभारी अधिकारी अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा का अनुमान लगायेगा जो आबकारी आयुक्त द्वारा विहित न्यूनतम प्राप्ति के आधार पर आसवकों द्वारा उत्पादित किया जाना चाहिये। यदि अल्कोहल की प्राप्ति विहित न्यूनतम मात्रा से कम हो, तो प्रभारी अधिकारी आसवक से स्पटीकरण मागेगा और उसे अपनी टिप्पणियों सहित सम्बन्धित उप प्रभारी आबकारी आयुक्त को भेजेगा। उप प्रभारी आबकारी आयुक्त यदि आवश्यक हो, मामले की जाँच करेगा और आबकारी आयुक्त को अपनी रिपोर्ट आवश्यक आदेश के लिये प्रस्तुत करेगा।	राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अभिकरण को भेजेंगे और दूसरा भाग अपने पास रख लेंगे। सम्यक् रूप से मुहर बन्द नमूना का तीसरा भाग प्रभारी अधिकारी द्वारा रख लिया जायेगा। रासायनिक परीक्षक या आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृ त कोई अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या अभिकरण द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आसवनी का प्रभारी अधिकारी अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा का अनुमान लगायेगा जो आबकारी आयुक्त द्वारा विहित न्यूनतम प्राप्ति के आधार पर आसवकों द्वारा उत्पादित किया जाना चाहिये। यदि अल्कोहल की प्राप्ति विहित न्यूनतम मात्रा से कम हो, तो प्रभारी अधिकारी आसवक से स्पष्टीकरण मागेगा और उसे अपनी टिप्पणियों सहित सम्बन्धित उप प्रभारी आबकारी आयुक्त को भेजेगा। उप प्रभारी आबकारी आयुक्त यदि आवश्यक हो, मामले की जाँच करेगा और आबकारी आयुक्त को अपनी रिपोर्ट आवश्यक आदेश के लिये प्रस्तुत करेगा।